न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 74/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/294

1. श्री मदनलाल पिता सुरजमल जी अकावत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

.....वादी

बनाम

1. श्री ताराचन्द पिता सुरजमल जी अकावत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
2. शंकरलाल पिता सुरजमल जी अकावत जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
3. नरेश कुमार पिता ताराचन्द जी जाति ब्राह्मण, उम्र वयस्क, निवासी चन्देसरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)।
5. पटवारी, पटवार हल्का चन्देसरा, जिला उदयपुर (राज०)।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1, 3
2. श्री सुखदेवसिंह उज्जवल, अधिवक्ता विपक्षी/वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी

निर्णय

दिनांक : 19.03.2025

1 प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द पिता सुरजमल अकावत एवं प्रतिवादी संख्या 3 नरेश कुमार पिता ताराचन्द द्वारा हस्तगत विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का वाद न्यायालय हाजा में वादी ने प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2023 को एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.08.2023 को पारित हो चुकी है। उक्त प्रकरण में न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादी को समन जारी तामील किया गया था किन्तु न्यायालय द्वारा जारी समन हम प्रार्थी / प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुए जारी न ही इसकी हमें कोई सूचना ही मिली है, न ही हम प्रतिवादी पर समन की तामील हुई है फिर भी न्यायालय द्वारा हम प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

के विरूद्ध उक्त प्रकरण में दिनांक 01.12.2022 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया। हम प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से पश्चात् न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 23.01.2023 को एक तरफा निर्णय पारित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गई है तथा दिनांक 28.08. 2023 को अन्तिम डिक्री भी जारी की जा चुकी है। उक्त तथ्य की जानकारी हम प्रतिवादी को कुछ दिन पूर्व हुई जब वादी ने मुझसे कहा कि तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटा लेना वरना मैं तुमको जबरदस्ती हटा दूंगा। मैने वादी को ऐसा करने से मना किया तो उसने कहा कि जमीन का बंटवाड़ा हो चुका है और जमीन मेरे नाम अलग से खाते में भी दर्ज हो चुकी है। इस पर हम तुरन्त मावली आये और यहां आकर अपनी और से अधिवक्ता नियुक्त कर उक्त इस प्रकरण के मामले में जानकारी कराई तो उक्त मामले में इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी हुई है। इससे पूर्व हमें इन तथ्यों की किसी प्रकार से कोई जानकारी नही थी।

2 निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी ने तामील कुनिन्दा के साथ मिलीभगत करके फर्जी तरीके से हमारे नाम से जारी सम्मनो पर तामील करा दी क्योंकि जो समन हमारे नाम से जारी है उन पर नरेश नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर है जो हस्ताक्षर प्रतिवादी संख्या 3 के नही है अर्थात उक्त हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से किये गये हैं। फिर हमारे खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करा अपनी मर्जी मुताबिक बंटवाड़ा की डिक्री जारी करा दी तथा बंटवाड़ा का जो मौका पर्चा तैयार किया गया उसमें भी हमारे हस्ताक्षर नही हैं बल्कि अन्य लोगो के फर्जी दस्तखत कर रखे है एवं रेणुका के हस्ताक्षर भी है जो कि उस समय भी नाबालिग थी और आज भी नाबालिग हैं तथा सूचना पत्र भी जो भी हस्ताक्षर वही भी फर्जी है व प्रतिवादी नरेश के तो उस पर दस्तखत ही नही हैं। क्योंकि न तो कोई सूचना पत्र जारी हूवे, न ही तहसीलदार एवं पटवारी हल्का कभी भी वादग्रस्त जमीन पर आये है और न ही वादग्रस्त जमीन पर आकर पर्चा मौका तैयार किया गया है, न ही कोई सूचना दी गई हैं तथा बंटवाड़ा हेतु माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार मावली को आदेशित किया था किन्तु तहसीलदार मावली द्वारा मनमाने ढंग से अपने ऑफिस पर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से बंटवाडा की कार्यवाही को सम्पन्न कर दिया जबकि तहसीलदार मावली को अपने अधिकार एवं दायित्व को अन्य को अन्तरित करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त पूरी कार्यवाही वादी ने फर्जी तरीके से सम्पन्न कराई है।

3 यहकि हम प्रतिवादी गरीब होकर किसान वर्ग के व्यक्ति हैं और ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हैं और कृषि ही हमारी आजीविका का एकमात्र साधन है किन्तु इस मामले की जानकारी हमको नही मिलने से उक्त प्रकरण में नियत पेशी पर माननीय न्यायालय आप में हम प्रतिवादी हाजिर नही हो सके। प्रकरण में वर्णित विवादित जायदाद के हम सहखातेदार है और इसमें हमारे भी जायज हक व अधिकार निहित है। अगर हमें उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया जावेगा तो हम अपने हितो की रक्षा नही कर सकेगें और हम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी अपने जायज हक व अधिकारो से सदैव के लिये महरूम हो जायेगें। न्यायहित में उक्त प्रकरण में पारित एक तरफा निर्णय व डिक्री में कार्यवाही दोतरफा कराना जरूरी है। हम प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है। जानबुझ कर माननीय न्यायालय में अनुपस्थित रहने की गलती नहीं की है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को दोतरफा कर एक्सपार्टी पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 व अंतिम डिक्री दिनांक 28.08.2023 को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित 151 जाप्ता दीवानी के साथ में शपथ पत्र पेश है।

4 प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का मुकदमा में माननीय न्यायालय द्वारा मुझ प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 01.12.2022 को एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर उक्त प्रकरण में दिनांक 23.01.2023 को एक पक्षीय निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है तथा दिनांक 28.08.2023 को अंतिम डिक्री पारित की हुई है। हम प्रार्थीगण ग्रामीण परिवेश के होकर गरीब किसान वर्ग के सदस्य हैं तथा इस मामले की सूचना हमें नही मिलने से नियत पेशी दिनांक पर माननीय न्यायालय आपमें उपस्थित नही हो सके थे जिससे हमारे विरूद्ध उक्त प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। हमने जानबुझ कर माननीय न्यायालय में पेशी पर अनुपस्थित रहने की गलती नही की है। अनुपस्थित का पर्याप्त कारण है। उक्त प्रकरण में विवादित जायदाद में हमारे हक अधिकार निहित है और यदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी के बिन्दू पर हमारे विरूद्ध पारित एकतरफा कार्यवाही (निर्णय व डिक्री) के आदेश को अपास्त नही किया जायेगा तो हमारे हितो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और हम अपने जायज अधिकारो से सदैव के लिये वंचित हो जायेगें। हमें उक्त मामले की जानकारी होते ही एक पक्षीय निर्णय डिक्री व डिक्री को अपास्त कराने हेतु अविलम्ब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावें।

5 प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई। विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर पेशी दिनांक 06.02.2025 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब की अवधि को क्षमा किया गया। विपक्षी / प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश दिए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

6 वादी/विपक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा प्रार्थीगणो को विधिवत सम्मन जारी किये गये जो कि दिनांक 22/11/2022 को जारी हुए उक्त सम्मन पर स्वयं प्रतिवादी नरेश व प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र भगवती लाल के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगणो को सम्यंक तामिल होकर उक्त प्रकरण की जानकारी हो चुकि थी परन्तु प्रकरण पर नियत सुनवाई दिनांक को जानबुझ कर अनुपस्थित रहै जिससे न्यायालय ने प्रार्थीगणो के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया। न्यायालय द्वारा दिनांक 23/01/2023 को उक्त प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी कि जिसकी पालना हेतु दिनांक 06/02/2023 को तहसीलदार मावली को लिखा गया। जिसके अनुसार तहसीलदार मावली द्वारा न्यायालय आदेश अनुसार बटंवाडा प्रस्ताव कि पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई कर न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 28/08/2023 को पारित कि गयी। चुंकी प्रारम्भिक डिक्री में परचा मौका में ताराचंद एवं स्वयं नरेश कुमार मोजुद थे, परंतु इन्होने उस समय कोई आपप्ती नही कि इन्होने ऐसा न कर अंतिम डिक्री जारी होने के पश्चात पूर्ण जानकारी होने के बावजुद वादी को न्याय प्राप्ती में देरी कारित करने के दुर्मतव्य से हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति में इस स्टेज पर प्रार्थी किसी भी प्रकार की आपत्ति करने से कानुनन विबंधित है प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगणो द्वारा मिथ्या तथ्यो का समावेश कर मुझ विपक्षी को न्याय प्राप्ती से विरत रखने की मंशा से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थना पत्र का कारण मुझ विपक्षी द्वारा कब्जा हटा लेने वाली बात कपोल कल्पित होकर त्रुटिपूर्ण है बंटवाडा हिस्से व कब्जे अनुसार हुआ है। तदनुसार मैं विपक्षी मौके पर आज भी काबिज हुँ। इस प्रकार प्रार्थीगणो द्वारा गलत तथ्यो के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर मुझ वादी/विपक्षी को सुनकर निर्णय पारित किया है इसमें प्रार्थीगणो द्वारा जानबुझकर न्यायालय आदेश की अवमानना कर नियत दिनांक को सुनवाई पर उपस्थित नही हुए। जिससे उनके विरुद्ध एक पक्षिय सुनवाई कि गयी व निर्णय पारित किया गया प्रार्थीगणो ने अपनी गलती को छुपाने के उद्देश्य से गलत तथ्यो पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है व स्वंय न्यायालय प्रक्रिया को आक्षेपित कर सारा दोष न्यायालय कि प्रक्रिया पर लगाया है जो सीधे सीधे न्यायालय के उपर आक्षेप है, बंटवाडा हुए एक वर्ष छः माह से भी अधिक का समय हो चुका है अंतिम डिक्री पारित होने की पूर्ण जानकारी होने के उपरांत भी केवल मात्र वादी को न्याय प्राप्ती मे विलम्ब उत्पन्न करने के उद्देश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। प्रार्थीगणो को न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पूर्ण रुप से जानकारी थी क्योकि न्यायलय द्वारा भैजे गये समन पर उनके हस्ताक्षर होना इस बात का प्रमाण है कि उनको प्रकरण की जानकारी थी केवल मात्र विपक्षी को उक्त प्रकरण में उलझाये रखने की मंशा से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र भ्रामक एवं मिथ्या तथ्यो पर प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण की मंशा मुझ विपक्षी को उक्त प्रकरण में उलझाये रखने की है इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

7 प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि मूल वाद में प्रार्थीगण की विधिवत तामिल नही होने से प्रार्थीगण को प्रकरण की सूचना नही थी। न्यायालय द्वारा जारी की गई तामिल पर फर्जी हस्ताक्षर करवाए जाकर न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहसीलदार द्वारा भी मौके पर आकर बंटवाड़ा प्रस्ताव नही बनाया गया। कार्यालय में ही बैठकर बंटवाड़ा प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। इस कारण से प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी नही हुई। प्रकरण की जानकारी होते ही प्रार्थीगण द्वारा अविलम्ब न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। यदि प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही किया जाता है तो प्रार्थीगण के हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद मे प्रतिवादी संख्या 1 व 3 के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही को दोतरफा कर एक्सपार्टी पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 व अंतिम डिक्री दिनांक 28.08.2023 को अपास्त फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा लिखित बहस में प्रार्थना के जवाब के तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगणो को विधिवत सम्मन जारी किये गये जो कि दिनांक 22/11/2022 को जारी हुए उक्त सम्मन पर स्वयं प्रतिवादी नरेश व प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र भगवती लाल के हस्ताक्षर है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगणो को सम्यंक तामिल होकर उक्त प्रकरण की जानकारी हो चुकि थी। विधिवत बंटवाडा हुए एक वर्ष छः माह से भी अधिक का समय हो चुका है जबकि एक पक्षीय डिक्री को जानकारी होने के 90 दिनो के अंदर दो तरफा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है इस प्रकार प्रतिवादीगणो ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वो मयाद में नही है, इस प्रकार प्रार्थीगणो द्वारा मुझ विपक्षी को जबरन परेशान करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया के तहत मुझ विपक्षी को सुनकर निर्णय पारित किया है न्यायालय में चल रहे प्रकरण की पूर्ण रुप से प्रार्थीगणो को जानकारी थी क्योकि न्यायालय द्वारा भेजे गये समन पर उनके स्वयं के हस्ताक्षर होना इस बात का पुख्ता प्रमाण है। केवल मात्र मुझ विपक्षी को उक्त प्रकरण में उलझाने का उद्देश्य प्रार्थीगणो का रहा है न्यायालय प्रकिया को जबरन अनदेखा कर विरत रह कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. सन् 2016 वोल.1 पेज 280 में रेवेन्यु बोर्ड में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया की नोटिस की तामिल में अनियमितता के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं कि जा सकती, विचारनीय न्यायालय ने एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने में गंभीर त्रुटी की है, ठिक इसी प्रकार आर.[illegible]टी. [illegible]14 (2) पेज नम्बर 1101 आर.आर.टी. 1999 पेज 196 पर भी न्यायालय द्वारा सन्दर्भित [illegible]न पारित किये गये है जो पूर्णतया इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में चस्पा होते है। जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई कि तारिख की सुचना थी और उपसंजात होने के लिए एवं वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय मिलने उपरांत भी प्रतिवादीगणो द्वारा जानबुझ कर उक्त प्रकरण मे अनुपस्थिति थी तो केवल एक पक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नही करेगा की समन की तामिल मे अनियमितता होना बताया हो। प्रार्थीगणो ने जानबुझ कर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है ताकि मुझ विपक्षी को न्याय से महरूम कर सके एवं वाद की कार्यवाही में पुनः भाग ले सके परन्तु जहां न्यायालय प्रक्रिया को प्रतिवादीगणो द्वारा अपनी गलती छुपाते हुए आक्षेपित किया गया हो वहा न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार नही किया जाना चाहिए क्योकि उक्त प्रकरण सन् 2022 में आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं इसकी अंतिम डिक्री 2023 में पारित कि गयी जिसकी पालना में वादी मदनलाल का खाता विभाजन में अलग हो चुका है अब इस स्तर पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं है। अंत में निवदेन किया कि प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भ्रामक एवं मिथ्या तथ्यो पर प्रस्तुत किया है प्रार्थीगणो की मंशा मुझ विपक्षी को उक्त प्रकरण में उलझाये रखने की है इसलिए प्रार्थीगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

8 हमने उपस्थित उभयपक्षो के अधिवक्तागण की बहस पर चिन्तन व मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। व्याख्या से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधानो का प्रकरण मे अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–13 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है:–

13. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना–– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवदेन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से नहीं की गई थी या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चों के बारे में, न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहाँ तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरुद्ध है वहाँ तक वह अपास्त कर दी जाए, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिए दिन नियत करेगा :

परन्तु जहाँ डिक्री ऐसी है कि केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं की जा सकती वहाँ वह अन्य सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी या किन्हीं के विरुद्ध भी अपास्त की जा सकेगी :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

[परन्तु यह और कि यदि किसी न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उपसंजात होने के लिए और वादी के दावे का उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय था तो वह एकपक्षीय पारित डिक्री को केवल इस आधार पर अपास्त नहीं करेगा कि समन की तामील में अनियमितता हुई थी।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

[स्पष्टीकरण –– जहाँ इस नियम के अधीन एकपक्षीय पारित डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है और अपील का निपटारा इस आधार पर से भिन्न किसी आधार पर कर दिया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है वहाँ उस एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए इस नियम के अधीन कोई आवेदन नहीं होगा ।] 1976 के अधिनियम संख्या 104 की धारा 59 द्वारा 01.02.1977 से जोड़ा गया।

इस प्रकरण में भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी द्वारा जिस वाद संख्या 194/13 में जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 23.01.2023 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.08.2023 को चुनौती दी गई है, उस वाद में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 ताराचन्द की तामील उनके पुत्र नरेश द्वारा प्राप्त की गई तथा प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 नरेश की तामिल स्वयं नरेश द्वारा प्राप्त की गई है। प्रार्थीगण का कथन है कि उक्त तामील पर स्वयं नरेश के हस्ताक्षर नही है। यह हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से किये गये है। परन्तु उक्त कथन केवल मात्र प्रार्थी द्वारा मौखिक किया गया है। इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे प्रतित होता हो कि उक्त तामिल पर नरेश के हस्ताक्षर किसी अन्य द्वारा फर्जी तरिके से किये गये है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय डिक्री जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली द्वारा प्रतिवादीगण की तामिल हेतु समन जारी किये गये। जिसमें प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दोनो की तामील प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्राप्त की गई। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दोनो पिता पुत्र है। तामिल होते ही प्रार्थीगण को अपने प्रकरण के प्रति सजग रहना चाहिए था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में जारी एकपक्षीय डिक्री की अपील नहीं की गई। इस पत्रावली में प्रार्थीगण द्वारा यह आरोप लगाया गया कि तामिल में अनियमितता की गई। परन्तु इस संबंध में कोई ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया जिससे यह प्रतित होता हो कि तामिल में अनियमितता हुई हो।

न्यायिक दृष्टांत बसन्त सिंह बनाम रोमन कैथोलिक मिशन ए.आई.आर. 2002 पेज नम्बर 3557 जिसमें बताया कि एकपक्षीय डिक्री अपास्त किया जाने का आधार प्रतिस्थापित तामिल में की गई अनियमितता नहीं [illegible]ती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Puhadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायिक दृष्टांत प्रेमदेवी बनाम नाथू 2016 [illegible] आरआरटी 280 के अनुसार सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 9, नियम 13–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955–धारा

230–विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय डिक्री अपास्त की–यह साबित करने हेतु प्रोसेस सर्वर व गवाहान को परीक्षित करने में असफल रहा कि वह इन्दौर निवास कर रहा था और उस पर नोटिस तामील नहीं हुआ–वाद में उल्लेखित अप्रार्थी का पता और प्रार्थना–पत्र में समान है–नोटिस की तामील में अनियमितता के आधार पर डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती–निर्णीत, विचारण न्यायालय ने एक पक्षीय डिक्री अपास्त करने में गम्भीर त्रुटि की है। (पैरा 7)

प्रकरण में इस स्थिति में दो तथ्य स्पष्ट होते है कि प्रथम प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1,3 को सम्मन प्रेषित किये गये। उक्त सम्मन के पश्चात भी प्रतिवादीगण हाजिर न्यायालय नही हुए। द्वितीय साथ ही न्यायालय सम्मन विधिवत रूप से तामिल होने पर प्रतिवादीगण को प्रकरण का ज्ञान होना स्पष्ट है। प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1, 3 द्वारा केवल मात्र की तामिल पर फर्जी हस्ताक्षर करने का कथन करते हुए प्रकरण में तामिल नही होने का अभिकथन तामील के खंडन हेतु पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1, 3 तामील के खंडन हेतु पर्याप्त साक्ष्य व परिस्थिति प्रस्तुत करने के भार को साबित करने में असफल रहे। साथ ही न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि तामिलों में अनियमितता के कारण डिक्री निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण निर्णय एवं डिक्री की नियमानुसार सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर खारिज योग्य पाया जाता है।

: : आदेश : :

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1, 3 द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:41:37 IST
Reason: SelfAttested